

हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली-110007
दूरभाष : 20923001, 20923002, 20923003
ई-मेल : hindiacademydelhi@gmail.com

संख्या : 16(22)/2017-18/हि.अ.क./348

दिनांक 02/2/24

सेवा में,

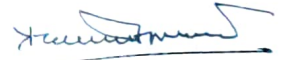
जी.एस.टी.डी.
हिन्दी अकादमी, दिल्ली

विषय : सी.सी.टी.वी. कैमरों के वार्षिक रख-रखाव निविदा के संबंध में।

महोदय/महोदया

हिन्दी अकादमी, दिल्ली अपने कार्यालय के सी.सी.टी.वी. कैमरों व उससे संबंधित उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव हेतु निविदा आमंत्रित करती हैं।

यदि आप उक्त कार्य में दक्ष व अनुभवी हैं तथा संलग्न नियम व शर्तों का पूर्ण करते हैं तो संलग्न प्रपत्र में दर्ज कार्य हेतु अपनी दरें भरकर सीलबंद निविदा सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली को उपरोक्त पते पर दिनांक 12.02.2024 अपराह्न 3 बजे तक पैन कार्ड, जी.एस.टी. नं० सहित जमा कर दें। निविदा के साथ धरोहर के रूप में रुपये 2000/- (दो हजार) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी जो सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली के पक्ष में देय होगा, भी संलग्न करें। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। सचिव, हिन्दी अकादमी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द/ अथवा निरस्त भी कर सकते हैं।



(रूषि कुमार शर्मा)
उपसचिव

संलग्न :-

1. सी.सी.टी.वी. कैमरा सामग्री विवरण
2. निविदा / ए.एम.सी. नियम व शर्तों का विवरण

सी.सी.टी.वी. उपकरणों की वार्षिक ए.एम.सी.के लिए नियम व शर्तें

क्र.सं नियम व शर्तें

1. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
2. कार्य की गुणवत्ता के उपरान्त अनुबंध की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
3. फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि अकादमी के सी.सी.टी.वी. उपकरण सुचारु रूप से कार्य करते रहें।
4. सी.सी.टी.वी. उपकरणों की खराबी के कॉल को 4 घण्टों के भीतर उत्तर देना आवश्यक होगा तथा सी.सी.टी.वी. उपकरणों को एक कार्य दिवस में ठीक करना होगा।
5. सी.सी.टी.वी. उपकरणों में लगने वाले पुर्जे, इत्यादि इस ए.एम.सी. में ही शामिल होंगे। इनके लिए अकादमी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. अनुबंध हेतु प्रस्तुत दरों में ही मार्ग-व्यय, परिवहन, कम्यूनिकेशन और मजदूरी तथा अन्य सभी व्यय सम्मिलित होंगे।
7. अनुबंधित फर्म का कार्य अकादमी की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
8. अकादमी द्वारा किसी भी कार्य के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा, बिलों का भुगतान, संबंधित कार्यों के संतोषजनक निष्पादन के उपरान्त बिल प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।
9. अकादमी द्वारा सौंपे गये कार्य के सामान की आपूर्ति अकादमी के कार्यालय, कार्यक्रम स्थल अथवा इच्छित स्थान पर चालान के साथ की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. सौंपे गये कार्य अकादमी के निर्देशानुसार तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करना अनिवार्य हैं।
11. सौंपे गये कार्य का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में अकादमी द्वारा अनुबंधकर्ता से प्राप्त बिल में समुचित कटौती की जा सकती है। इसके लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय को मानने के लिए अनुबंधित फर्म मानने के लिए बाध्य होगी। कार्य का स्तर संतोषजनक नहीं होने पर तथा नियमों का पालन नहीं करने पर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. आपकी फर्म में चोरी अगजनी, उपद्रव अथवा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो जाने की स्थिति में फर्म घाटे, बर्बादी या अन्य जोखिमों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अकादमी किसी भी दावेदारी का भुगतान नहीं करेगी।
13. कार्य की समाप्ति व आपूर्ति के बाद बिल, किये गये कार्यों की रिपोर्ट सहित 20 दिन तक अकादमी में जमा होने चाहिए। मार्च माह में सौंपे गये कार्यों के बिल भी रिपोर्ट सहित 31 मार्च से पहले अनिवार्य रूप में जमा हो जाने चाहिए। 31 मार्च तक भुगतान नहीं होने के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी।
14. यदि किसी समय आपके द्वारा किये गये कार्य में कोई Overpayment पायी जाती है तो फर्म उसे तुरन्त अकादमी को लौटाने के लिए बाध्य होगी।
15. संबंधित कार्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में करने के लिए सभी वैध दस्तावेज रखने के लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।
16. दिये गये कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने एवं संतोषजनक न होने की स्थिति में फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।



17. कार्य का अनुबंध करते समय 10 प्रतिशत की सुरक्षा राशि का ड्राफ्ट जमा करना होगा।
18. फर्म को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है या इस तरह के कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
19. फर्म द्वारा किये गये कार्यों का संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें तथा कम से कम तीन सरकारी विभागों जहाँ आपने कार्य किया है उसकी कार्य कार्य के आदेशों की प्रतियाँ भी संलग्न करना अनिवार्य है।
20. फर्म द्वारा लिए जाने वाले जी.एस.टी. इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। फर्म का जी.एस.टी. व आयकर संख्या तथा उसकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैंने/हमने क्रमांक 1 से 20 तक की सभी नियम व शर्तों का गहन रूप से अध्ययन कर लिया है और हमें सभी नियम व शर्तें पूर्ण रूप से मान्य हैं।

फर्म का नाम.....

पता :

दूरभाष संख्या

Hindi Academy, Delhi

List & Particulars of CCTV Camera Items For Comprehensive Annual Maintenance

Si. No.	Items Name	Years of Purchase	Rate of SAMS
1.	DVR 16CH Cpplus HDCVI-01PC CPBullet HDCVI Cpplus 2.4MP-11 Pcs. Power Supply Cpplus-11 Pcs. HDD4 TB WD Suvillance-1 Pcs. RACK 4U-1 Pcs. Connection & BNC Connections	31-3-2018	

(Signature)